ए०सी० शर्मा,
आई.पी.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
१-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजनवरी १७,२०१३

विषय- हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

अपराधों की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पाश्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। आप सहमत होगें कि विवेचना की गुणवत्ता में सु सुधार होने से अपराधियों को मा० न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा तथा अपराधों पर नियंत्रण भी होगा। इसका समाज में अच्छा संदेश जायेगा।

एडीजी-१२/२००१ दि० १५.१२.०१
डीजी परिपत्र सं०:७३/०७ दि० ३१.८.०७
डीजी परिपत्र सं०:१५/०८ दि० ०७.२.०८
डीजी परिपत्र सं०:०५/११ दि० १३.२.११
डीजी-७-एस-एचसी-३२(४)/१० दि० ८.६.१२
डीजी-५०/२०१२ दिनांक २६.१०.२०१२

२. विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रारम्भ में मुख्य ०३ बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः-

(१.) अपराध के घटनास्थल (**SOC**) को सुरक्षित करने, उसकी फोटोग्राफी कराने व फील्ड यूनिट से साक्ष्य एकत्रित कराने।

(२.) धारा १६० दं०प्र०सं० के अन्तर्गत नोटिस देकर १६१ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान के अभिलेखीकरण के साथ-साथ १६१(३) दं०प्र०सं० में दिये गये प्राविधान के अनुसार उसकी आडियो-वीडियो रिकार्डिंग करना।

(३.) विवेचना में पर्यवेक्षक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता।

३. उपरोक्त ०३ बिन्दुओं का अनुपालन हॉलाकि समस्त विवेचनाओं में होना चाहिए परन्तु प्रारम्भ में हत्या और बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना में इनका क्रियान्वयन कराया जायेगा। इन तीन कार्य-प्रणालियों का स्थायीकरण होने के उपरान्त इनका विस्तार अन्य जघन्य विवेचनाओं के लिए भी किया जायेगा।

४. इस उद्देश्य से हत्या और बलात्कार की विवेचनाओं में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायः-

(i) घटना की जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहले पहुँचने (First Responder) वाले पुलिस कर्मी घटना स्थल के इर्द-गिर्द येलो टेप लगाना सुनिश्चित करेंगें एवं किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को घटना स्थल में प्रवेश करने से रोकेंगें।

(ii) घटना स्थल पर Field Unit Team पहुॅचकर घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य विवेचक की मौजूदगी में एकत्रित करेंगें।

(iii) घटनास्थल की फोटोग्राफी करायी जाय। फोटोग्राफों की एक प्रति केस डायरी के साथ और दूसरी एस०आर० फाइल के साथ रखी जाय।

(iv) गवाहों का बयान अंकित करने हेतु द०प्र०सं० की धारा १६०(१) के अन्तर्गत संलग्न प्रारूप में नोटिस निर्गत करके गवाहों को तामील कराकर बयान अंकित करने के लिए थाने पर बुलाया जाय। किसी भी दशा में महिलाओं एवं बच्चों को बयान अंकित कराने हेतु थाने पर न बुलाया जाय, बल्कि उनका बयान उनके निवास स्थान पर अंकित किया जाय।

(v) दं०प्र०सं० की धारा १६१(३) के अन्तर्गत गवाहों के बयान का आडियो / वीडियों (इलेक्ट्रानिक साधनों से) बनाने का प्राविधान है। प्रत्येक गवाहा के बयान की आडियो/वीडियों रिकार्डिंग की जाय। विवेचना में एकत्रित सभी बयानों की आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की एक प्रति **Compact Disc** पर अथवा **DVD पर** दो गवाहों की उपस्थिति में **write** करके केस डायरी के साथ तथा उसकी दूसरी **CD/DVD** एस०आर० पत्रावली पर रखी जाय।

(vi) महिलाओं के बलात्कार की घटनाओं में पीड़िता का तत्काल १६४(A) दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी कराया जाय। बलात्कार की घटनाओं में पीड़ित महिला का बयान महिला अधिकारी के समक्ष अंकित करें और संवेदनशीलतापूर्वक पीड़िता से प्रश्न करते समय उसकी मर्यादा एव गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाय।

(vii) बलात्कार की घटनाओं में यदि एफ०आई०आर० पीडिता द्वारा नहीं लिखायी गयी हो तो पीड़िता का बयान धारा १६४ द०प्र०सं० के अन्तर्गत यथासम्भव अभिलिखित कराया जाय।

(viii) यदि पीड़िता अल्प वयस्क महिला हो तो Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

(ix) बलात्कार की घटनाओं में अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त तत्काल ५३(A) दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अनुसार उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।

५. हत्या एवं बलात्कार की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचकगण अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करते हुए Confidential रिपोर्ट बनाकर क्षेत्राधिकारी को, क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक को तथा अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पास भेजेगें। विवेचक, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी व साक्ष्य के आधार पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक किसी भी अभियुक्त का नाम विलोपित करने, नाम बढ़ाने, अपराध की धारा घटाने, बढ़ाने एवं आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट भेजने पर अपना स्पष्ट मत अंकित करेंगें। उक्त रिपोर्ट इसी क्रम में वापस लौटेगी। क्षेत्राधिकारी सुनिश्चित करेगें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये मत को औपचारिक रूप से पत्र के द्वारा विवेचक को उपलब्ध कराया जाय। विवेचक उस मत के आधार पर आरोप-पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

६. यदि घटनास्थल पर घटना से सम्बन्धित थाने के अतिरिक्त अन्य थानों व इकाईयों पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी भी पहुॅचते हैं और उन्हें घटना के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वह जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से घटना से सम्बन्धित थाने को प्रेषित करेंगें ताकि इसका समायोजन विवेचना में किया जा सकें।

७. विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **injury report** व **PM report** में विरोधाभास होने पर विवेचक क्षेत्राधिकारी के माध्यम से तथा यदि विवेचक क्षेत्राधिकारी पद का अधिकारी है तो अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राय लेने के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ में विशेषज्ञ के पास भेजना सुनिश्चित करेगें।

८. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। इस आदेश एवं समस्त संलग्नकों की एक प्रति प्रत्येक थाने पर अपने स्तर से वितरित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(ए०सी० शर्मा)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से), उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से कि थानों पर आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरा और पर्याप्त **DVD/CD** के लिए क्रमशः ''२६-पुलिस साज-सज्जा'' व ''०८-कार्यालय व्यय'' में धन उपलब्ध करायें।

प्रतिलिपि-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ कि समस्त फील्ड यूनिट्स के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में येलो टेप थानों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएॅ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

१.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
२.अपर पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ।
३.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ०प्र०।
४.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ०प्र०।
५.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित हैः-

१.अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
२.अपर पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान, उ०प्र० लखनऊ।
३.अपर पुलिस महानिदेशक, एस०आई०टी०, उ०प्र० लखनऊ।
४.अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ०प्र० लखनऊ।